Details of Appeal/Decision of First Appellate Authority for the period October 2017 to March 2018 under RTI Act 2005:

Sl. No.	ID No.	Ground of Appeal	Decision of First Appellate Authority/remarks
1.	ITPO/RTI/Appeal/08/07/2017	We have received no response to our RTI request within the given time. Kindly review the same and revert	The First Appellate Authority after having perused the RTI application and 1st Appeal of the Appellant observed that the requisite Information has already been furnished to the appellant corresponding to the queries raised in his RTI application. However, FAA, ITPO ruled that the applicant may be informed that since requisite information was to be obtained from various Divisions of ITPO and also due to power failure/breakdown in ITPO, there was a short delay; for which inconvenience is regretted.
2.	ITPO/RTI/Appeal/09/01/2017	"**प्रश्न संख्या3 ,5 , 7 एवं 9 के सम्बंध हेतु:** जन सूचना अधिकारी के द्वारा मुहैया कराई गयी सूचना प्रश्न संख्या3 ,5, 7एवं 9 के सम्बंध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अधुरी तथा आंशिक प्रदान की गई है तथा उक्त प्रश्न संख्याओं के संदर्भ में जंसूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं । **प्रश्न संख्या 3 के सम्बंध में**- : जन सूचना अधिकारी ने केवल तथ्यो को छिपाया है बल्कि सूचनाएं अधूरे रूप में प्रदान की है । जन सूचना अधिकारी ने केवल श्री सुमित पाल के सम्बंध में सूचंनाएं देते हुए तथ्यों को यह कहते हुए छिपाया है कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित पद नियुक्ति में केवल एक ही उम्मीदवार, श्री सुमित पाल ने ही चेन्नई विभाग में नियुक्ति के सम्बंध में सूचनाएं प्रदान की हैं जबकि सुश्री सुआलेहा नासिर तथा श्री विवेक वर्मा भी इस विभाग को ज्वाइन जुलाई/अगस्त 2017 में कराया जा चुका है तथा इन दोनों उम्मीदवारों को कौंन सा क्षेत्रीय विभाग/मुख्यालय सौंपा गया है इनकी सूचनाएं जनसूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं करवाई है । उम्मीदवारो की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में प्रतिलिपपि प्रदान करते समय श्री विवेक वर्मा के दस्तावेजो के साथ छेड़खानी की गयी जो साफ़ ब्लैक मार्क करके काटा गया है, जिससे साफ़ प्रतीत होता है यह छेड़खानी किस तथ्य को छुपाने और किस उद्धेश्य की पूर्ती हेतु की गयी है इसकी पूर्ण सूचना दे क्योकि श्री विवेक वर्मा की इन शैक्षिक योग्यत्ता के सम्बंध में हटाई/ब्लैक मार्क की गई सूचना पूर्ण रूप से भ्रमित करने वाली है, इन सूचनाओं को जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ कर काटा गया है इसलिए इस विषय के सम्बंध में पूर्ण सूचना सही एवं प्रमाणित प्रतिलिपि के अधार पर दें । **प्रश्न संख्या 5 के सम्बंध में**- :	आवेदन कर्त्ता द्वारा , आरटीआई आवेदन पत्र द्वारा मांगी गई सूचना, पी.आई.ओ द्वरा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अधार पर , प्रथम एपीलेट प्राधिकारी, आईटीपीओ ने कहा कि आवेदन कर्त्ता निम्नलिखित जानकारी दी जाए: - **प्रश्न संख्या 3 के सम्बंध में- :** आवेदक के आरोपो से असहमति जताई जाती है कि अभिलेखों से छेड़्खानी की गई है । यहाँ यह उललेख करना उचित होगा कि अवांछित शब्दों को ब्लैक मार्क किया गया है । आवेदक यदि चाहे तो सम्बंधित फाइल का निरिक्षण कर सकती है। आगे, आवेदक ने अपने आवेदन में ही उल्लेख किया है की ओ. बी. सी. वर्ग के चार पदो का विज्ञापन दिया गया था । जिसमें मुखयालय के लिए दो पद हैं तथा बाकी पद क्षेत्रीय कार्यालय के लिए हैं । चार ओ. बी.सी. पदो के लिए निम्न व्यक्तियों का चयन किया गया - 1. सुश्री सुआलेहा नसीर 2. श्री सुमीत पाल 3. श्री विवेक वर्मा 4. श्री सुमित कुमार (अभी जाईन नहीं किया है) उपरोक्त आवेदको का चयन न तो किसी कार्यालय विशेष के लिए किया न ही सूचीवार किया गया था ।बल्कि चयनित उम्मीदवारो को प्रबंधन सेवा विनियमावली के नियम 16 के अनुसार किसी भी कार्यालयमें स्थानांतरित कर

		जन सूचना अधिकारी इस प्रश्न के सम्बंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहे है, या तो वे जान बूझ कर तथ्यों को छुपा रहे है या अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दे रहे हैं जिसके अंतर्गत वे महिला अधिकारी सम्बंधी सूचना जो ट्रांसफर से सम्बंधित थी, के सम्बंध में कोई भी दस्तावेज नही दे पाए हैं तथा कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, कह कर अपने उत्तर की व्याख्या की है । अन्य पिछड़ा वर्ग मे हुए नियुक्ति के सम्बंध में किसे महिला कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुए है यह कह कर उन्होंने अपने उत्तर झूठ का प्रयोग किया है, की किसी भी महिला अधिकारी की नियुक्ति सहायक) एकाउंट्स (पर नहीं हुए है जबकि सुश्री सुआलेहा नासिर की नियुक्ति की जा जुकी है । **<u>प्रश्न संख्या 7 के सम्बंध में</u>**- : इस प्रश्न के सम्बंध में भी जन सूचना अधिकारी सूचनाए उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं तथा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज की प्रतिलिपि भी उनके द्वारा नहीं भेजी गयी जबकि इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन का सर्विस नियम 16 के अनुसार, ट्रांसफर सिर्फ वर्ग 4 के कर्मचारियों को छोड़ कर सभी पर लागू होती है तथा सम्बंधित नियम भी ग्रुप 4 वर्ग के कर्मचारियों के अलावा सभी पर पूर्णतया लागू होते हैं । इस प्रश्न के सम्बंध में भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, का हवाला देते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम को अपमानित किया गया है, जो पूर्णतया निंदनीय है । क्योंकि इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन एक बड़ा संकाय है और ऐसा संभव ही नही है की किसी भी कर्मचारी का अभी तक कोई ट्रांसफर ही नही किया गया हो । तथा कोई कर्मचारी जो मूल निवासी दिल्ली से हो और किसी क्षेत्रीय विभाग में न गया तो या किसी अन्य क्षेत्र का होने पर दिल्ली मुख्यालय में कार्यरत न हो । अपने उत्तर के सम्बंध में जन सूचना अधिकारी ने मात्र केवल श्री सुमित पाल के चैन्नई क्षेत्रीय विभाग में ट्रंसफर से सम्बंधित सूचनाओं को ही उपलब्ध करवाया है । क्या यह सूचना बिलकुल सही है कि अभी मात्र केवल श्री सुमित पाल का ही पिछले 30 वर्षों में पहला ट्रंसफर है जो दिल्ली से चेन्नई विभाग के लिए गया है और केवल यही एक रिकॉर्ड इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन के पास उपलब्ध है । क्या ट्रांसफर से सम्बंधित रिकॉर्ड वास्तव में इस संकाय के पास उपलब्ध नहीं है । या जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है या इस प्रकार का रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया ? अगर वास्तव में इस प्रकार का रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया तो किस नियम/प्रावधान के अंतर्गत यह रिकॉर्ड नहीं तैयार किया गया, सूचना दे तथा किस अधिकारी के कहने पर किया गया उसका नाम एवं पद की सूचना दे । **<u>प्रश्न संख्या 9 के सम्बंध में</u>**- : इस प्रश्न के सम्बंध में भी कोई सूचना जनसूचना	सकती है । एक एसटी के पद के लिए कोई उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया । मुखयालय में फिलहाल सुश्री सुआलेहा नसीर तथा श्री विवेक वर्मा कार्यरत हैं । श्री सुमित पाल को विज्ञापन तथा संस्था के आवश्यकता के अनुसार चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है । परंतु वे 11.08.2017 से बिना छुट्टी के अनुपस्थित है और चेन्नई कार्यालय में ज्वाइन नही किया है । **प्रश्न** - 5 आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना पहले ही उपलब्ध करा दी गई है । **प्रश्न** - 7 आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना का अलग से रखरखाव का प्रावधान नहीं है चूंकि आई.टी.पी.ओ के कर्मचारीगण का भारत के किसी भी क्षेत्र में जहाँ इसके कार्यालय है , आवश्यकतानुसार स्थांनातरण किया जा सकता है । **प्रश्न** - 9 आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना पहले ही उपलब्ध करा दी गई है ।

		अधिकारी के द्वारा प्रदान नहीं की गई है तथा प्रश्नो का जवाब अपूर्ण ही है । आपसे अनुरोध है की जनसूचना अधिकारी को आप, अपील के पहले अपीलित प्राधिकरण के फैंसले के तिथि से 10 दिन के भीतर अपने प्रश्नों के अनुसार, रिकॉर्ड के साथ पूर्ण और प्रासंगिक जानकारी की प्रमाणित प्रतिया प्रदान करें । इसके अलावा जनसूचना अधिकारी को सूचना के मुताबिक निशुल्क मे सूचना आपूर्ति के निर्देश दे क्योकि जन सूचना अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान कराने में विफल रहें है । यदि आप जनसूचना अधिकारी के निर्णय से सहमत हैं और उनके इसी फैंसले को कायम रखने और अपीलकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं तो अपने निर्णय की कारण सहित दस्तावेजों के साथ आपूर्ति करवाए ।"	
3.	ITPO/RTI/Appeal/09/07/2017	Appellant had sought information vide his online RTI application dated 14.09.2017 from CPIO. The application was registered vide no.ITPOR/R/2017/50012. While CPIO had furnished information vide his letter No. ITPO/RTI/09/07/2017 dated 12th October 2017 to the appellant he did not respect the provision of RTI Act 2005, hence the para-wise appeal is as under: Para (i) The information sought under the para is not exempted from disclosure, as the information sought by the appellant under this para is having the larger public interest. Para(ii) & (iii) The CPIO had wrongly transfer the part information under these paras of the application to other public authority (NBCC) because all the relevant and requisite information is already having in custody of the ITPO (public authority), hence, such transfer of information under these paras (ii) & (iii) is tantamount to denial of the information. It is necessary to mention here that under Section 6(3) of the Act says that transfer of application shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application but CPIO had taken almost 28 days to transfer these paras (ii) & (iii) of RTI application for information. Hence, such act of the CPIO is suspecting something wrong in the matter. Para(iv) CPIO has asked appellant to deposit Rs.14/- against photocopying charges to provide requisite information under this para. Appellant had paid online Rs. 14/- to the public authority on 12.10.2017 but till date appellant has not received requisite information as sought by the appellant under this para. Therefore, the CPIO has not only provide the information after accepting the additional fee from appellant but also disregard the provision of under section 7(6) of the RTI Act, 2005.	The First Appellate Authority, ITPO after having perused the RTI Application, Information furnished by PIO, ITPO and first Appeal of the applicant/appellant observed and ruled that the information has already been furnished to the appellant corresponding to the queries raised in her RTI Application and justified. The First Appellate Authority further ruled that the applicant/appellant may be conveyed that : (i) The information/documents sought by the applicant is confidential, therefore, can not be provided. Hence, the information denied by CPIO/PIO under section 8(1)(i) of the RTI Act is justified. (ii & iii) Certified photocopy of IECC Project - Preliminary Estimate(1 page) dated 29.12.2015 and Revised Estimate(1 page) dated 29.08.2017 is again enclosed herewith. It is reiterated that the information sought by you, pertains to NBCC India Ltd. Your kind attention is also invited to NBCC India Ltd , New Delhi, wherein it has been mentioned that "you may visit the Site office at ITPO works, Pragati Maidan, New Delhi, on any working day between 10.00 am to 5.00 p.m. for inspecting the relevant documents with prior intimation to Shri B.L. Ravi, Chief General Manager,(Engg.) on his mob no.8527798769 for

		In view of the First Appellate Authority is requested to kindly direct CPIO to provide complete requisite information as sought by appellant in his RTI application dated 14.09.2017. It is also requested to initiate necessary action against CPIO for not implementing the Act in true spirit.	identifying/ jotting down the list of desired documents which shall be provided on deposit of requisite fee as per the provision of RTI Act, 2005." You may inspect the relevant documents with prior appointment and obtain the identified documents, in due course, accordingly. (iv) Immediately on receipt of the requisite fee of Rs.14/- towards photocopying charges of 07 pages on-line, photocopies of the certified documents(07 pages) were sent to the applicant vide letter no. ITPO/RTI/09/07/2017 dated 01.11.2017.